न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या 31/19 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–28.10.2020
निर्णय दिनाकः– 5-2-2024

अनवान

1– कान्तिलाल पिता जगजी पाटीदार निवासी वरसिंगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –श्री विपीन शर्मा
अप्रार्थी 2– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भुमि मौजा वरसिंगपुर मे खाता संख्या 174/57 कुल खसरा 57 कुल रकबा 5.7738 की स्थित है। उक्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम दलजी पिता जगजी दर्ज है। प्रार्थी के पहचान व पते के दस्तावेज राशन कार्ड,आधार कार्ड,श्रम कार्ड,नल व लाईट बिल आदि मे प्रार्थी का वास्तविक नाम कान्तिलाल पिता जगजी अकिंत है। राजस्व अधिकारीया के द्वारा टकण त्रूटी वश उक्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम कान्तिलाल के स्थान पर दलजी अकिंत कर दिया है। वादग्रस्त खाते मे प्रार्थी का सही नाम कान्तिलाल अकिंत किए जाने पर सहखातैदारो कोई आपत्ति नही है जिसका सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी को उक्त मामले की राजस्व केम्प के दौरान अपनी माता गमीरी का नाम हटाए जाने का प्रार्थना पत्र दिए जाने हेतु खाते की नकल निकलवाने पर हुई। जिसे इन्द्राज दुरस्ती कर सुधारा जा मौजा वरसिगपुर मे खाता संख्य174/57 कुल खसरा 57 कुल रकबा 5.7738 मे प्रार्थी का नाम दलजी पिता जगजी के स्थान पर कान्तिलाल पिता जगजी दर्ज किया जाना न्याय हित अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा वरसिगपुर मे खाता संख्या 174/57 कुल खसरा 57 कुल रकबा 5.7738 के राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती के आदेश दिए जा जमाबन्दी मे प्रार्थी का सही नाम कान्तिलाल पिता जगजी दर्ज किया जावे।

5/2/24
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 1 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर प्रार्थी का वास्तविक नाम कान्तिलाल पिता जगजी होना स्वीकार किया तथा उक्त नाम की शुद्वि बाबत् सहखातेदारो की सहमति होना भी बताया गया जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुंर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार मौजा वरसिंगपुर मे खाता संख्या 174/57 कुल खसरा 57 कुल रकबा 5.7738 हेक्टर मे प्रार्थी का नाम दलजी पिता जगजी अकिंत है। परन्तु पत्रावली पर आए अप्रार्थी के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम की अशुद्वि होना प्रतित होता है। मौजा वरसिंगपुर के खाता संख्या 174/57 के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम की शुद्वि किए जाने हेतु सहखातेदारो का सहमति पत्र संलग्न है। प्रार्थी का नाम दलजी पिता जगजी दर्ज होने की अशुद्वि हुई है जिसे सुधार किया जाकर मौजा वरसिगपुर मे खाता संख्या मौजा वरसिंगपुर मे खाता संख्या 174/57 कुल खसरा 57 कुल रकबा 5.7738 हेक्टर मे प्रार्थी का सही नाम कान्तिलाल पिता जगजी दर्ज रेकार्ड किया जाना न्यायोचित्त प्रतित होता है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम की शुद्वि विवादित खाते मे दर्ज किया जावै। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 5-2-2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रवणसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर